कोर्ट-कचहरी के बाहर

महिला संगठन कानूनी सहायक बने

महिला संगठन अब समझ गए हैं कि यदि महिलाओं की सचमुच मदद करनी है तो उनकी ताकत बढ़ानी होगी। ताकत कैसे बढ़े, इस कोशिश में अलग-अलग समूह अलग-अलग ढंग से लगे हैं। कानूनी जानकारी और कानूनी मदद मुश्किलों को आसान करती है और अपने हकों को जानने और पाने में मदद करती है।

सब जानते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा कितना जटिल है। न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। पैसे की बरबादी अलग होती है। कानून को कारगर बनाने में महिला संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं।

हमारी अनेक समस्याएं सामाजिक कुरीतियों से जुड़ी हैं। जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अंध विश्वासों के कारण औरतों को सताया जाना, घर की बहू का दरजा नौकरानी से कुछ ही अधिक होना, पति व ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से सताया जाना, लड़के और लड़की के पालन-पोषण में भेदभाव, पारिवारिक झगड़े, घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं का यौन शोषण आदि।

इन सब मुद्दों को लेकर कानून बने हैं, लेकिन कानून को सार्थक बनाने के लिए कचहरी ही काफी नहीं है। कानूनी जानकारी हर औरत व मर्द को देना, उसका डर पैदा करना, गैर कानूनी कामों को रोकना आदि महिला संगठन या सामाजिक संगठन कर सकते हैं। एक सीमित दायरे में वे कर भी रहे हैं। आइए, आज उस जानकारी को आपस में बांटें।

'सबला' के पिछले अंक में आपने 'छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन' और 'छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा' द्वारा महिला पंचायत का गठन और उसकी मदद से राजकुमारी मोटवानी को कानूनी मदद दिलवाने के बारे में पढ़ा होगा।

राजस्थान में विमला जैन के निर्देशन में जिला महिला विकास अभिकरण, भीलवाड़ा (राजस्थान) में भी कानूनी मदद देने का काम ज़ोर से चल रहा है। 'सबला' के उसी अंक में आपने 'कानूनी जानकारी

का फायदा' के तहत पंचायत समिति जहाजपुर (राजस्थान) द्वारा पति द्वारा पत्नी को पीटने पर रोक लगाने के बारे में पढ़ा होगा।

धापू की मदद

उदयपुर में 'महिला विकास इकाई' ने बाल विवाह के मामले से पैदा समस्या हल की। 11 साल की धापू गोमती (गांव मुरली) की शादी 15 साल के मांगीलाल से हुई थी। पांच साल तक वह कभी-कभी ससुराल आती जाती रही। स्थाई रूप से वह मायके में रहती थी और मजदूरी करती थी। धापू ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए गौना नहीं हुआ था। शराब पीकर उसका पति उसे मारता-पीटता था। उसका पति जबर्दस्ती उसे उसके काम की जगह से बुलाकर ले जाया करता था।

एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ जिनमें एक ट्रक ड्राइवर भी था, जबर्दस्ती उसे ट्रक पर बिठाकर अपने घर ले गया। ससुराल पहुंचकर धापू ने खाना बनाया। जब सब खा चुके तब धापू की सास उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसके पति ने गर्म लोहे की छड़ से उसे 19 जगहों पर जलाया। तीन दिन तक वह भूखी-प्यासी, जलन की यातना सहती रही। तीसरे दिन उसके मायके खबर भेजी गई कि वह थोड़ा जल गई है, तब तक उसके जख्म सड़ने लगे थे। धापू का भाई आया, घर में बाहर से सांकल लगी थी। मांगीलाल कहीं भाग गया था।

धापू के भाई ने महिला समूह की मदद ली। धापू के केस को धारा 342 और 324 के तहत दर्ज कराया। सास और ड्राइवर के खिलाफ भी धारा 164 में मामला दर्ज होना था, पर पुलिस ने दर्ज नहीं किया। मांगीलाल को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया।

जब साथिनों ने देखा कि इस तरह कुछ नहीं हो रहा है तब उन्होंने आसपास के गांवों के 150 पंचायती सदस्यों की बैठक बुलाई। पंचायत ने पूरी बात सुनी और कहा कि वह फैसला एक हफ्ते के अंदर देगी। जब डेढ़ महीने तक कुछ न हुआ तो साथिनों ने दूसरी पंचायत बुलाई। इस बार उन्होंने फैसला किया कि धापू अपना घूंघट उठा दे और वह इस शादी से आजाद है। वह जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। मांगीलाल को सौ जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। उस पर कुछ रुपयों का जुर्माना भी किया गया। उससे लिखा लिया गया कि धापू अब उसकी पत्नी नहीं रही।

धापू का केस दर्ज कराने से यह फायदा हुआ कि उसका अस्पताल में मुफ्त इलाज हो पाया। धापू पहले तो डर से कुछ बोली नहीं, क्योंकि पति ने उसे धमकी दी थी कि वह उसकी नाक काट लेगा अगर उसने उसके खिलाफ कुछ कहा। पंचायत का फैसला कानूनन भी मान्य है, उसे सामाजिक मान्यता तो है ही।

कानूनी सहायता केंद्र

दिल्ली की लाजपतनगर बस्ती में 'महिला कानूनी सहायता केंद्र' सावित्री देवी वर्मा के निर्देशन में 20 वर्षों से काम कर रहा है। इसकी पारिवारिक परिषद् घरेलू झगड़े, पति-पत्नी के बीच, मां-बेटे, भाई-बहन, पड़ोसी आदि के बीच कोर्ट-कचहरी की दौड़ कराए बिना सुलझाती है। लड़कियों से छेड़-छाड़, नौकरियों में उनके साथ अन्याय और अत्याचार के मामलों में भी मदद की जाने लगी है। जो मामले समझौते से नहीं निपटते उन्हें वादी की इच्छा से कोर्ट में दर्ज करा दिया जाता है और वकील की मुफ्त सहायता दी जाती है।

केंद्र कानूनी जानकारी देने के शिविर भी लगाता है। मांग पर दिल्ली के बाहर भी मदद देने को तैयार रहता है। सरल भाषा में लिखी कानून की पुस्तकें भी यहां मिलती हैं। यहां जो समझौते कराए जाते हैं स्टांप पेपर पर दोनों पक्षों के दस्तखत कराकर लिखित रूप से कराए जाते हैं। उनके खिलाफ जाना गैर-कानूनी होता है।

सावित्री जी ने बताया कि इस समय केंद्र के पास 3,000 से अधिक मामले हैं। 40 फीसदी मामलों में समझौता हो जाता है। जब कोई पक्ष मामला लेकर आता है तब दूसरे पक्ष को तीन सम्मन भेजे जाते हैं फिर भी दूसरा पक्ष न आए तो वादी की इच्छा पूछी जाती है। उसकी मर्जी हुई तो मामले की प्रथम सूचना रपट दर्ज करा दी जाती है या उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कुछ मामलों में प्रथम सूचना रपट लिखाना जरूरी है, जैसे बलात्कार, जलाए जाने, और शारीरिक चोट के मामले।

जो केस लेकर आते हैं उनसे लिखित प्रार्थना-पत्र लिया जाता है। समझौता न होने की स्थिति में उन्हें पटियाला हाऊस और तीस हजारी कोर्ट में 'लीगल एड' केंद्रों को भेजा जाता है।

पति, सास या अन्य ससुराल वाला तंग करता है तो उसे बुलाकर उसमें कानूनी डर पैदा किया जाता है। छोटे बच्चे के संरक्षण के मामले में पति या ससुराल वालों से बच्चा मां को दिलवाया जाता है।

यदि पति मर गया है तो सरकारी, गैर-सरकारी दफ्तरों में पत्नी या एक बच्चे को काम देने के लिए संस्था कानूनन बाध्य है। केंद्र ऐसी सूरत में मदद करता है। यदि काम करने के दौरान या दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो केंद्र मुआवजा दिलाता है। अगर लड़की के मां-बाप दिल्ली में हैं और ससुराल दिल्ली के बाहर और कोर्ट केस बाहर दायर किया गया है तो केंद्र केस को दिल्ली में स्थानांतरित कराता है।

केंद्र की गतिविधियां दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। यह बाहर के केस भी लेता है। इनके फील्ड वर्कर बाहर भी काम करते हैं। कई बार गुजारे-भत्ते का पैसा पार्टी यहीं जमा करा जाती है। फिर दूसरी पार्टी उसे आकर ले जाती है।

औरतों के हक में समझौते

गढ़ी, लाजपतनगर की एक लड़की की शादी दो साल पहले हुई थी। उसका पति बदरपुर एक्सटेंशन में रहता है। दहेज की मांग को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। 8-10 महीने से लड़की मायके आकर रहने लगी थी। 5-6 महीने पहले केस रजिस्टर हुआ। लड़के को बुलवाया गया। वह आया, पर काफी समझाने पर भी समझौता नहीं हो सका। लड़के को दहेज वापिस करने को कहा गया। उसने दहेज वापिस किया। लड़की से रसीद ली गई। चूंकि वह खुद कमा-खा रही है इसलिए गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। वह लेना चाहती भी नहीं।

सेक्टर 7 की झुग्गी-झोंपड़ी में एक पति-पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। आपसी समझौता हो गया। उनके दो साल की बच्ची है। बच्ची के लिए लड़के ने 150 रु० महीना देने की हामी भरी है। वह रुपया केंद्र में जमा कर जाता है और लड़की यहां से आकर ले जाती है।

कालका जी डिपो के पास एक कैंप है जिसमें अधिकतर बंगला देश से आए शरणार्थी रहते हैं। सुभान नामक व्यक्ति ने बिल्हार बीबी के साथ बलात्कार किया। सुभान पुलिस का मुखबिर था। पुलिस की शह से उसने ऐसा किया। बिल्हार बीबी शादीशुदा औरत है। जिसके दो बच्चे हैं। जब केस केंद्र में आया तब काफी दौड़-भाग की गई। स्थानीय पुलिस केस दर्ज करने और कोई भी कार्यवाही करने से कतरा रही थी। पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई। केस हौजखास थाने में दर्ज कराया गया। सुभान अब जेल में है और उस पर मुकदमा चल रहा है।

अनीता का पति अचानक गुम हो गया। कई दिन तक जब उसका पता नहीं चला तब वह पुलिस चौकी में रपट दर्ज कराने गई। सहायक सब-इंस्पैक्टर ने दिन भर उसे थाने में बिठाया और शाम को वकील से मिलाने के बहाने उसे एक जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अनीता ने बाहर निकलकर हल्ला मचाया। एक मंदिर में ले जाकर उसके साथ झूठमूठ की शादी की गई। दूसरे दिन

उसे उसके घर छोड़ आया। अनीता के 13-14 साल की लड़की है। अब उसकी नज़र उस पर भी है। अनीता ने उसके खिलाफ रपट लिखाई। केस दर्ज करवाया। वकील किया। वकील और सब-इंस्पैक्टर मिल गए। इंस्पैक्टर ने वकील को पैसा खिला दिया, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ा। तब अनीता केंद्र पर आई। इंस्पैक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब उसके खिलाफ विजलेंस द्वारा छानबीन चल रही है।

औरतों और बच्चों को जिनका कोई नहीं है शहीद भवन और बाल भवन भेजा जाता है। 'वाई डब्ल्यू सी ए' में भी एक केंद्र है जहां औरतें काम सीखती हैं और उन्हें फिर बसाया जाता है।

महिला केंद्र का पता है—

महिला कानूनी सहायता केंद्र
सी/160 दयानंद कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-110024

कानूनी लड़ाई लंबी होती है पर डर कर हार नहीं माननी चाहिए। अन्याय क्यों सहा जाए ? अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ के साथ अन्य आवाजें भी जुड़ जाती हैं। हर औरत को कानूनी जानकारी होनी चाहिए। अपने हक के बारे में न जानने से काफी परेशानी और अत्याचार झेलने पड़ते हैं। जानकारी होने पर ही औरतें अपने हकों के लिए लड़ सकेंगी।

लोक अदालत के फैसले

बड़ौदा जिले के रंगपुर इलाके में आनंद निकेतन आश्रम की लोक अदालत औरतों की मदद करती है। श्री हरीवल्लभ पारीख के नेतृत्व में यह संस्था 40 साल से काम कर रही है। ग्रामीण विकास के साथ-साथ लोक अदालत का नया सामाजिक अभियान चला रही है। यह तरीका स्थानीय समस्याओं के हल के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है।

एक केंद्रीय लोक अदालत है जिसकी बैठकें आश्रम में होती हैं। हर गांव में ग्राम सभाएं हैं जो लोक अदालत की बैठकें ज़रूरत के हिसाब से करती हैं। लगभग 100 गांवों में इनका काम फैला है। अब तक लगभग 20,000 मामलों का फैसला हो चुका है।

इसे खुली अदालत भी कह सकते हैं। इसके नियम बहुत सरल हैं। कागजी कार्यवाही नामभर है। काफी लोग मौजूद रहते हैं। सबको अपनी राय ज़ाहिर करने का हक है। शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। सब फैसले लोगों को मान्य हैं। समस्याओं के समाधान की कुछ मिसालें नीचे दी जा रही हैं—

रतनपुर गांव की लड़की नंदा का पति मंगाभाई तीन साल पहले मर गया। नंदा और उसकी तीन बेटियां रह गयीं। उनके कोई लड़का नहीं है। मंगाभाई की एक एकड़ ज़मीन गुज़ारे के लिए काफ़ी थी। मंगाभाई के कोई भाई नहीं था। एक बहन थी जिसकी काफी पहले शादी हो चुकी थी। इस इलाके में यह रीति है कि विधवा को देवर या जेठ की दूसरी पत्नी के रूप में रहना पड़ता है। इससे जमीन-जायदाद परिवार में ही रहती है।

नंदा के पति की बहन शांति और बहनोई की नज़र नंदा की ज़मीन पर गई। उन्होंने वहां आकर घर में रहना और खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसके साथ लड़ाई-झगड़ा कर शांति के पति ने पटवारी से मिलकर ज़मीन अपने नाम करा ली। मामला ग्राम सभा में आया। एक पक्ष नंदा की ओर था। दूसरा मंगाभाई के बहनोई के पक्ष में। मामला केंद्रीय अदालत में आया। गारदीया भाई ने बीच का रास्ता सुझाया। "मरने वाले की पत्नी चाहे तो अपने बच्चों के साथ ज़मीन पर रहे, चाहे किसी से शादी कर ले। शर्त इतनी रहे कि वह नए पति के गांव न जाए।

ज़मीन नंदा के नाम रहे। नया पति पालक ज़रूर रहे मगर मालिक नहीं माना जाएगा।" यह प्रस्ताव सबकी रज़ामंदी से पास हो गया। पटवारी का कच्चा इंदराज जो बहनोई के नाम था रद्द कर दिया गया।

बरसों से चली आ रही एक बुरी सामाजिक प्रथा भी खत्म हो गई और एक नई सामाजिक मान्यता कायम हुई।

अंधविश्वास से मुक्ति

बाटड़ा गांव की रावली बहन के बारे में मुआ (ओझा) ने ऐलान कर दिया था कि वह डायन है। वह गांव के आदमियों और जानवरों को खा रही है। मुआ का कहना भगवान के कहे बराबर था। गांववालों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया। उसके घरवालों के सामने उसकी खूब पिटाई की। वह घायल होकर बेहोश हो गई। मारने वालों ने सोचा वह मर गई।

घरवाले उसे अस्पताल ले गए। उसका इलाज कराया। डाक्टर के बुलाने पर पुलिस आई। पहले तो पुलिस ने हमदर्दी दिखाई। दूसरे दिन गांव के पटेल और कुछ लोग थाने गए तो उसका रवैया बदल गया। रावली के पति का गांव से निकलना मुश्किल हो गया। उसकी खेती-बाड़ी नष्ट हो गई।

इस हालात में मामला लोक अदालत में पेश हुआ। गांववालों को बुलाया गया। पुलिस को भी नोटिस भेजा गया। रावली और उसका पति दिव्या अदालत का नोटिस लेकर नए सिरे से रपट दर्ज कराने थाने गए। पुलिस अधिकारी काफी गुस्सा हुआ और बोला—"सारा गांव तुम्हारे खिलाफ है, तुम लोग गांव छोड़कर भाग जाओ।" वे थाने से बहुत निराश लौटे।

पुलिस को भेजी लोक अदालत की सूचना विस्तार से अखबारों में छपी। इसका असर पुलिस पर भी पड़ा और गांववालों पर भी। लोक अदालत की बैठक में पूरा गांव आया। लोगों को झूठी मान्यताओं के बारे में बताया गया। सदस्यों से पूछा गया—"आप में से कितने लोग अब भी मानते हैं कि डायन बनकर कोई औरत किसी को खा सकती है।" जवाब में एक भी हाथ नहीं उठा। बाटड़ा के लोगों ने कहा—"हमने मुआ के हुक्म को माना है।"

ओझा की पोल खुली

मुआ को बुलाया गया और उससे कहा गया कि हम तुम्हारे सामने पानी का गिलास रख रहे हैं। वह उसे खून में बदल दे। यदि ऐसा न कर सके तो हम एक प्याले में कोई चीज़ भर कर रख देंगे। आप बताना कि इसमें क्या है? अगर आप किसी के शरीर में घुसकर यह बता सकते हैं कि उसने क्या खाया है तो यह आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। गांववालों ने हामी भरी। मुआ बगलें झांकने लगा। लोगों की मौजूदगी में उसके ज्ञान और देवीपन का दिवाला निकल गया।

तब गांववालों ने कहा कि हमने इस मुआ के चक्कर में आकर बड़ा पाप किया है। लोक अदालत जो चाहे हमें सज़ा दे।

लोक अदालत ने दोनों पक्षों से दो-दो जूरी छांटने को कहा। करीब दो घंटे बाद जूरी ने सबकी सम्मति से फैसला सुनाया—"गुनाह बहुत गंभीर है। लोगों ने रावली बहन को मार ही दिया था। संयोग से वह बच गई। लोगों ने अज्ञानतावश ऐसा किया है। जांच से यह भी पता चला है कि लोग अब तक पुलिस को 700 रु० और वकील को 500 रु० दे चुके हैं। रावली बहन की दवा पर जो खर्च हुआ है उसके लिए गांव वालों से 125 रु० दिलाए जाएं।"

सब लोगों ने इस फैसले पर सहमति जताई। रावली बहन ने 25 रु० का गुड़ मंगाकर लोक अदालत में आए लोगों में बांटा। स्नेह और सद्भाव के वातावरण में अदालत उठ गई। अज्ञान का अंधेरा मिट गया था।

इस अदालत में संपत्ति-संबंधी झगड़े, पति-पत्नी के बीच के झगड़े और मार-पीट के झगड़े आदि भी निपटाए जाते हैं। □